राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6007/2021

डॉ. सुमन कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव, सपोटरा, करौली।
4. अमित उपाध्याय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.11.2021
आदेश की दिनांक : 25.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव, जिला करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने वेतन आहरण के संबंध में यह आदेश दिए है कि अपीलार्थी का वेतन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा के रिक्त चिकित्सा अधिकारी के पद से आहरण किया जावे। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव है एवं वहां अपीलार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कार्यरत नहीं है इसलिए अपीलार्थी का वेतन सपोटरा से आहरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का वेतन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव से ही आहरित किया जा सकता है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी जिस पद पर कार्यरत था उस पद पर अन्य व्यक्ति अमित उपाध्याय भी कार्यरत था। वर्तमान में अमित उपाध्याय का स्थानान्तरण हो चुका है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी का वेतन आहरण वर्तमान पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव से ही किया जावे। अधिकरण के आदेश की पालना दो सप्ताह में सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ ही अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)